राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(11) राज/वाद/24 जयपुर दिनांक 15/5/2024

:: आदेश ::

विभागीय समसख्यंक आदेश दिनांक 01.05.2024 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से प्रकरणों में पैरवी करने हेतु आदेश में सूची के क्रम संख्या–01 पर वर्णित श्री हेमेन्द्र जैलिया, पैनल लॉयर को कार्यमुक्त कर, उनको आवंटित प्रकरणों में नवनियुक्त पैनल लॉयर श्री क्षितिज मित्तल को राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत किया गया था।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2024 में अंकित सूची के क्रम संख्या–01 पर वर्णित श्री हेमेन्द्र जैलिया के कार्यमुक्ति आदेश को प्रत्याहरित करते हुए, श्री हेमेन्द्र जैलिया को निर्देशित किया जाता है कि वे अग्रिम आदेशों तक माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से प्रकरणों में पैनल लॉयर के रूप में पूर्वानुसार/यथावत पैरवी करते रहेंगे।

आज्ञा से
ह0
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री ।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
8. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज–पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
16. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
17. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. संबंधित अधिवक्ता।
19. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
20. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
21. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।

15/05/2024
शासन सचिव, विधि

D:\Rohit\2024\Legal Order